



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 09, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 01, 2021

Asvina 09, Friday, Saka 1943- October 01, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

संख्या एफ.3(1)(1)प्रथम/निर्वा/2021/डी-234 :-भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/राज.-वि.स./2/2021:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री गौतम लाल मीणा का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 19 मई, 2021 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्विना बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार);

- (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार);
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार);
- (झ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 1st October, 2021
9 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/2/2021 :- **WHEREAS**, the seat of Sh. Gautam Lal Meena, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **157-Dhariawad (ST)** Assembly Constituency, has become vacant on 19th May, 2021 by reason of his death; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) & (2) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 157-Dhariawad (ST) Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 5th November, 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Rajasthan State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

- (B) **appoints**, with respect to the said election, -
- (a) the 8th October, 2021 (Friday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 11th October, 2021 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 13th October, 2021 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 30th October, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 5th November, 2021 (Friday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

RAHUL SHARMA,
PRINCIPAL SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।